<u>जुर्माना, निलंबन या रद्द करने के लिए अपील दायर करना</u>

1. व्यापार मामलों और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ("Business Affairs and Consumer Protection, BACP") की ओर से शराब के लाइसेंस पर जुर्माना लगाने, निलंबित करने या रद्द करने के फैसले की अपील लाइसेंस अपील आयोग ("License Appeal Commission, LAC") के सामने व्यापार मामलों और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा शराब लाइसेंस पर जुर्माना लगाने, निलंबित करने या रद्द करने के आदेश जारी करने की तारीख के बीस (20) * दिनों के अंदर दर्ज की जानी चाहिए। **आदेश की तारीख से बीस (20) दिनों * के अंदर अपील करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप इस फैसले पर अपील करने की आपकी क्षमता खत्म हो जाएगी।** (कृपया ध्यान दें: लाइसेंस अपील आयोग शिकागो शहर के कानून विभाग की ओर से जारी आधिकारिक छुट्टियों की अनुसूची का पालन करता है)।

2. विभाग के निष्कर्षों पर अपील करने के लिए, लाइसेंसधारक को लाइसेंस अपील आयोग के सामने कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

   ए) लाइसेंसधारक को अपील की सूचना दर्ज करनी ही होगी (दस्तावेजों के तहत अपील की सूचना देखें)।

   बी) आपकी अपील की सूचना के साथ तथ्य की खोज, जुर्माना, निलंबित या रद्द करने के साथ व्यापार मामलों और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आदेश के निपटारे के आदेश की एक प्रति शामिल की जानी चाहिए।

   सी) POS (प्वाइंट ऑफ सेल) का चालान जिसमें $125 के फाइलिंग शुल्क के भुगतान को दर्शाया गया था और इस बात का सबूत भी है कि सभी आवश्यक लाइसेंस शुल्क का भुगतान आज की तारीख तक किया गया है।

   डी) नोटरी हलफनामा जिसमें कहा गया है कि अदालत ने व्यापार मामलों और उपभोक्ता संरक्षण विभाग में कार्यवाही से प्रतिलेखों को भेजने का आदेश दिया है।

3. अपील करने के लिए लाइसेंसधारक को वित्त विभाग के साथ $125 का दायर करने का शुल्क भरना पड़ेगा। POS चालान का प्रपत्र हमारे विभाग की वेबसाइट www.cityofchicago.org/lac पर उपलब्ध है। प्रपत्र को डाउनलोड करें और शुल्क का भुगतान किसी भी शिकागो शहर के भुगतान केंद्र पर करें। लाइसेंस अपील आयोग के सामने एक रसीद प्रस्तुत करना होगा जो दर्शाए कि आपने शुल्क चुका दिया है। इस रसीद के बिना कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।

4. लाइसेंसधारक को कोई भी कानूनी मामला या कानून भी शामिल करना चाहिए जिस पर लाइसेंसधारक व्यापार मामलों और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के फैसले को उलटने के लिए बहस करने में विश्वास कर सके।

5. एक बार लाइसेंस अपील आयोग के सामने अपील दायर करने के बाद, लाइसेंसधारक को एक नोटरी का हलफनामा दाखिल करना होगा जिसमें कहा गया है कि अदालत ने व्यापारिक मामलों और उपभोक्ता संरक्षण विभाग में कार्यवाही से प्रतिलेखों को भेजने का आदेश दिया है। हलफनामा लाइसेंस अपील आयोग के साथ अपील की नोटिस पर लाइसेंस अपील आयोग द्वारा मुहर लगाने की तारीख के दस (10) व्यावसायिक दिनों के अंदर दायर किया जाना चाहिए। इस हलफनामे को दायर करने में विफल रहने पर परिणामस्वरूप अपील खारिज हो सकती है। कोई भी शराब लाइसेंसधारक जो व्यापार मामलों और उपभोक्ता संरक्षण विभाग से एक रद्द करने के आदेश पर अपील करता है, उसे राज्य के कानून द्वारा अपील के लंबित रहने के दौरान अपने शराब लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करने और उसे चालू रखने की जरूरत होती है। कोई भी शराब लाइसेंसधारक जो लाइसेंस अपील आयोग के समाने रद्द करने के आदेश की अपील करता है, उसे यह प्रमाण दिखाना होगा कि उसने सभी लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क का भुगतान आज की तारीख तक कर दिया है। शराब लाइसेंसधारकों को सिटी हॉल के कमरा 107 में शिकागो शहर के वित्त विभाग में अपने नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा और एक रसीद प्राप्त करनी होगी। भुगतान की गई लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क रसीद, साथ ही एक नई अपील दायर करने के लिए शुल्क के भुगतान को दर्शाने वाली रसीद, लाइसेंस अपील आयोग को अपील दायर करने के लिए एक शर्त के रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

*दिन = कैलेंडर के दिन| अगर एक नियत तारीख शनिवार, रविवार, या अदालत की छुट्टी के दिन आती है, नियत तारीख अगली व्यावसायिक तारीख के दिन मानी जाएगी।

<u>एक शराब के लाइसेंस की अपील दायर करने के लिए आवश्यकताएं</u>

<u>(जुर्माना, निलंबन, या रद्द करना)</u>

Michelle.Guzman-Flores@cityofchicago.org पर ईमेल कर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दायर करने को प्राथमिकता दी जाती है। अगर ईमेल करना नामुमकिन है, कृपया 312—744—4095 पर कॉल कर व्यक्तिगत रूप से अपील दायर करने की व्यवस्था करें। निम्नलिखित दस्तावेजों को जरूर शामिल किया जाना चाहिए इससे पहले कि अपील को दायर करने के लिए स्वीकार किया जा सके। नीचे दिए गए किसी भी दस्तावेज को जमा करने में विफल रहने पर परिणामस्वरूप फाइलिंग को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

निम्नलिखित दस्तावेजों को जरूर शामिल किया जाना चाहिए इससे पहले कि अपील को दायर करने के लिए स्वीकार किया जा सके। नीचे दिए गए किसी भी दस्तावेज को जमा करने में विफल रहने पर परिणामस्वरूप फाइलिंग को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

- अपील की नोटिस
- रद्द करने, निलंबन या जुर्माना का आदेश (तथ्य के निष्कर्षों के साथ)
- उपस्थिति प्रपत्र
- अपील दायर करने के शुल्क रसीद की एक प्रति। POS चालान फॉर्म अब हमारे विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। फॉर्म डाउनलोड करें और शिकागो शहर के किसी भी भुगतान केंद्र में शुल्क का भुगतान करें।
- शराब लाइसेंसधारकों को यह प्रमाण दिखाना होगा कि **सभी लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क** का भुगतान आज की तारीख तक किया गया है। लाइसेंसधारकों को सिटी के कमरा नंबर 107 में शिकागो शहर के वित्त विभाग में अपने नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा। कृपया इस रसीद की एक प्रति शामिल करें।

ऊपर दिए गए प्रपत्र हमारी वेबसाइट (www.cityofchicago.org/lac) पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं या आप हमारे कार्यालय से Michelle.Guzman-Flores@cityofchicago.org पर ईमेल करके या 312-744-4095 पर कॉल करके हार्ड कॉपी लेने के लिए समय की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आप हार्ड कॉपी का अनुरोध कर रहे हैं, तो अग्रिम रूप से कम से कम पांच (5) व्यावसायिक दिनों (शनिवार, रविवार या अदालत की छुट्टियों को शामिल न करें) पर कॉल या ईमेल करने की जो अनुशंसा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हार्ड कॉपी लेने के लिए समय की व्यवस्था की जा सके। कृपया ध्यान रखें कि हमारे कार्यालय में अपील दायर करने से पहले आपको शिकागो के किसी भी भुगतान केंद्र में पीओएस चालान फॉर्म लेने, फाइलिंग शुल्क का भुगतान करने और रसीद प्राप्त करने के लिए समय की जरूरत होगी।

<u>कृपया ध्यान दें कि अपील दायर करने की समय सीमा के 10 दिनों के अंदर, लाइसेंसधारक को एक नोटरी हलफनामा दाखिल करना होगा, जिसमें कहा गया है कि अदालत ने व्यापार मामलों और उपभोक्ता संरक्षण विभाग करो कार्यवाही से जुड़े रिपोर्ट को भेजने का आदेश दिया है। *हलफनामा दाखिल करने में विफल रहने पर परिणामस्वरूप अपील खारिज हो जाएगी।*</u>